अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्ते) अधिनियम 1979 के अंतर्गत श्रमिकों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति प्रदाय।

श्रम सेवा पोर्टल : http://www.labour.mp.gov.in

1.प्रयोज्यता	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवाशर्ते) अधिनियम 1979 की धारा 8 (1) नियम 7 के अंतर्गत प्रत्येक ठेकेदार जो प्रवासी कर्मकार नियोजित करते हों।
2. आवेदन कब करें?	प्रत्येक ठेकेदार द्वारा प्रवासी कर्मकार नियोजित करने के पूर्व अनुज्ञप्ति लेना आवश्यक है।
3. पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ	श्रम सेवा पोर्टल पर अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के अंतर्गत ठेकेदारोंको अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध है : ⇨ नवीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन(New License) ⇨ अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन(Renewal of license) ⇨ अनुज्ञप्ति में संशोधन(Amendment in License) ⇨ अनुज्ञप्ति में संशोधन सहित नवीनीकरण (License Renewal with Amendment)
4. आवेदन कहाँ करें?	श्रम सेवा पोर्टल पर ⇨ **नवीन अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु** : ऑनलाइन पंजीकरण/लाइसेंस सेवाएं→अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति→नवीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पर आवेदन दर्ज करें।
5. आवेदनप्रक्रिया	श्रम-सेवा पोर्टल पर उपलब्ध अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1979 के अंतर्गतठेकेदारों के अनुज्ञप्तिनवीनीकरण मॉडयूल में जानकारी दर्ज कर, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। ⇨ यदि पंजीयन/लाइसेंस पूर्व में ऑफलाइन किया गया है तो प्रथम बार ऑनलाइन सुविधा हेतु आवेदन में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना

	अनिवार्य होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज जो नवीन अनुज्ञप्ति में उपलब्ध कराये गए थे पोर्टल पर अपलोड करने होंगे (आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें) | तत्पश्चात नवीनीकरणहेतु ऑनलाइन आवेदन देने के लिए मात्र मूल दस्तावेजों की आवश्यकता होगी| **अथवा** ⇨ यदि पूर्व में पंजीयन/लाइसेंस ऑनलाइन किया गया था तो पूर्व में दिए हुए डॉकेट नंबर एवं पासवर्ड डालें | पूर्व से दर्ज हुई जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी तथा पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे |
6. आवश्यक दस्तावेज	**दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें :** **नवीन अनुज्ञप्ति** 1. पोर्टल में ऑनलाइन फॉर्म में जानकारी भर **save details and upload submit supporting documents**पर क्लिक करें | उपरोक्त भरी हुई जानकारी के आधार पर आवेदन फॉर्म जनरेट होगा | पेज के बाएँ तरफ (Print your Application for signing and uploading) पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें|आवेदन फॉर्म को हस्ताक्षरित करस्कैन कर लें| यह फॉर्म Signed and Scanned Copy of Application की श्रेणी में पोर्टल पर अपलोड करें |(**PDF**फॉर्मेट) **नोट** :यदि आवेदन फॉर्म बाएँ तरफ नहीं दिखाई दे तो नीचे दिए गए आवेदन प्रारूप-IV को भरें तथा फॉर्म को हस्ताक्षरित तथा स्कैन कर Signed and Scanned Copy of Application की श्रेणी में पोर्टल पर अपलोडकरें | 2. प्रमुख नियोजक व्दारा प्रारूप-VI (मध्यप्रदेश नियम 21 (2) के अनुसार) में जारी प्रमाण पत्र। (**PDF**फॉर्मेट) 3. **निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने संबंधी बैंक चालान/सायबर ट्रेजरी की रसीद की प्रति** (**PDF**फॉर्मेट) 4. आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो।(**JPG**फॉर्मेट) **अथवा** आवेदनकर्ता संस्थान हो तो संस्थानप्रबंधक का पासपोर्ट साईज फोटो।(**JPG** फॉर्मेट) 5. आवेदनकर्ता का फोटो परिचयपत्र / वोटर आई डी / आधार कार्ड / ड्रायविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट या पेन कार्ड में से **किसी एक की प्रति**।(**PDF**फॉर्मेट) 6. प्रधान नियोजक / ठेकेदार स्थापना के स्थान व पते के प्रमाणीकरण हेतु किरायानामा / विध्युत देयक / टेलीफोन बिल / ओनरशिप डीड / पार्टनरशिप डीड /

	मेमोरण्डम ऑफ एसोसियेशन में से **किसी एक की प्रति**।(PDFफॉर्मेट) 7. आवेदनकर्ता भागीदारी फर्म होने की स्थिति में अनुबंध की प्रति **अथवा** कम्पनी लि. होने की स्थिति में मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन में से **किसी एक की प्रति**।(PDFफॉर्मेट) 8. यदि किसी और राज्य में नियोजित हैं तो मूल राज्य द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की प्रति ।(PDFफॉर्मेट)
7. आवेदन की स्थिति	जमा किये हुए आवेदन की तीन स्थितियां हो सकती है : - आवेदन पर स्वीकृति **या** - आवेदन पर आपत्ति**या** - आवेदन पर अस्वीकृति (रद्द होना) उपरोक्त किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जायेगा ।
8. अनुज्ञप्तिशुल्क/सुरक्षा निधि	(मध्यप्रदेश नियम 26 (2) के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क/सुरक्षा निधि वर्ष में किसी भी दिन ठेके पर नियोजित किये जाने वाले अधिकतम श्रमिकों की संख्या के आधार परगणित है। शुल्क देखें।
9. अनुज्ञप्ति शुल्क/ सुरक्षा निधि जमा करने की विधि	(i) **बैंक चालान द्वारा:** निर्धारित हेड में बैंक चालान द्वारा राशि जमा कर चालान की प्रति से विवरण आवेदन में दर्ज करें। **ट्रेज़री हेड (शुल्क जमा हेतु) :** **0230 - श्रम एवं नियोजन** **00 -** **101 - श्रम विधियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ** **102 - अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्राप्तियाँ"** **(सुरक्षा निधि जमा हेतु) :** **"के" - जमा एवं अग्रिम** **"डी" - ब्याज मुक्त जमा** **8443 - सिविल डिपॉजिट** **116 - अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्राप्तियाँ"** **अथवा** (ii) **साईबर कोषालय(Cyber Treasury)के माध्यम से:** ऑनलाईन साईबर कोषालय(Cyber Treasury) की पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा कर सायबर ट्रेज़री रसीद की प्रति से आवश्यक प्रविष्टियाँ आवेदन में दर्ज करें।

	सायबर ट्रेज़री हेड(शुल्क जमा हेतु) : 0230-00-101-102 - Receipts Under Inter State Migrant Workers Act, 1979 **सायबर ट्रेज़री हेड(सुरक्षा निधि जमा हेतु) :** 8443-00-101-102 - Refundable Security Under Contract Labour Act, 1979
10.समय सीमा	आवेदन जमा(आवश्यक दस्तावेजों सहित) होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस के अन्दर| यदि कोई कार्यवाही उक्त समय-सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है |
11.अपील	आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपील की जा सकेगी:- ⇨ **<u>प्रथम अपील अधिकारी:</u>** संबंधित जिले / संभाग के प्रभारी उप श्रम आयुक्त (प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित समय-सीमा: 30 कार्य दिवस)। ⇨ **<u>द्वितीय अपील प्राधिकारी:</u>** अपर श्रम आयुक्त / श्रम आयुक्त, म.प्र. इंदौर।
12.प्रमाणपत्र किस प्रकार प्राप्त होगा	आवेदक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा | आवेदक अपना प्रमाण पत्र श्रम-सेवा पोर्टल पर पूर्व में भेजे गए डॉकेट नंबर तथा पासवर्ड की मदद से देख सकते हैं |
13. डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन	आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।

ध्यान देने योग्य बातें :

- अनुज्ञप्ति की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर श्रम सेवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क/सूचना हेतु उपयोगी होगा|
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबर डालना अनिवार्य है|
- आवेदन के उपरांत दिए गए **डॉकेटनंबर** तथा **पासवर्ड** को आगामी सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए|
- आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आवेदनको जिला कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा| आपत्तिजारी होने पर आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS**द्वारा सूचित किया जाएगा|
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ न दायर करें तथा एक बार में ही आपत्ति के कारणों का अनुपालन करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है |
- प्रक्रिया सम्बन्धी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु सम्बंधित जिला कार्यालय में संपर्क करें |

शुल्क एवं सुरक्षा निधि

- **सुरक्षा निधि -** आवेदक द्वारा इस सेवा को प्राप्त करने के लिये रूपये **75** प्रति ठेका श्रमिक की दर से चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद द्वारा निर्धारित हेड में जमा करनी होगी |

- **अनुज्ञप्ति हेतु शुल्क -** अमानत राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार विधिक शुल्क देय होगा

क्र.	किसी भी दिन स्थापन में नियोजित किये जाने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या	लायसेंस शुल्क
1	5 - 20	रूपये 20
2	21 - 50	रूपये 40
3	51 - 100	रूपये 80
4	101 - 200	रूपये 160
5.	201 - 400	रूपये 320
6.	400 से अधिक	रूपये 400

- अनुज्ञप्ति शुल्क बैंक चालान या सायबर ट्रेज़री रसीद द्वारा ही जमा करायी जा सकती है।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् आवेदक लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदन दर्ज कर सकते हैं, लोक सेवा केंद्र भी श्रम सेवा पोर्टल से ही आवेदन दर्ज करेंगे | अनुज्ञप्ति शुल्क राशि आवेदक व्दारा बैंक चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद के माध्यम से जमा कराकर मूल प्रति लोक सेवा केन्द्र को उपलब्ध कराएँगे (जिसे लोक सेवा केन्द्र व्दारा स्केन कर अन्य दस्तावेजों के साथ वेबसाईट पर अपलोडकिया जायेगा) अथवा लोक सेवा केन्द्र व्दारा उपरोक्तानुसार राशि आवेदक से नकद जमा कराकर आवेदक को रसीद जारी की जायेगी।
- लोक सेवा केन्द्र पर जमा उपरोक्त राशि का समायोजन लोक सेवा केन्द्र की टॉपअप राशि से होगा। इस तरह माह के दौरान जिला ई-गर्वेनेंस सोसायटी के खाते में जमा ठेका अनुज्ञप्ति शुल्क राशि अगले माह के प्रथम सप्ताह में सोसायटी द्वारा, विभाग के हेड **"0230-00-106-0000"** में जमा होगी।
- लोक सेवा केन्द्र द्वारा अमानत राशि रूपये 75/- प्रति प्रवासी श्रमिक की दर से निक्षेप-अग्रिम (ख), निक्षेप जिन पर ब्याज नहीं लगेगा, के हेड **"8443-00-111-102"** में चालान/ सायबर ट्रेज़री रसीद द्वारा जमा कराई जायेगी |
- लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में लोक सेवा केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 30/-रूपये प्रति आवेदन पत्र सेवा शुल्क लिया जायेगा।

अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करने वाले ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन

Application for Licensing of Contractors under Inter-state Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979

All fields mark with * are mandatory.

:: ठेकेदार की जानकारी ::

ठेकेदार / ठेकेदार संस्थान का नाम * :	
व्यक्ति की दशा में उसके पिता / पति का नाम :	
पता* :	
PIN Code	
टेलीफोन नं. :	
फैक्स नं. :	
ई-मेल आई.डी.* :	
मोबाईल नं* :	
व्यक्ति की दशा में जन्म तारीख* :	
जिला (जारीकर्ता कार्यालय)* :	

:: Applicant Details (आवेदक की जानकारी) ::

आवेदक का नाम* :	
पिता का नाम* :	
पदनाम (आवेदनकर्ता फर्म / कंपनी में हैसियत) * :	
आधार नं* :	
आवेदक का पता * :	

एसएमएस एलर्ट्स हेतु मोबाइल नं* :	
ई-मेल आई.डी.* :	

::जिस स्थापना में प्रवासी कर्मकार नियोजित किये जाने हैं, उसकी विशिष्टियाँ::

स्थापना का नाम* :	
पता* :	
कारोबार, व्यापार, उद्योग, विनिर्माण या उपजीविका का प्रकार जो स्थापना में किया जाता है *:	
स्थापना के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र क्रं. :	
रजिस्ट्रीकरण की तारीख :	
प्रमुख नियोजक का नाम :	
पता :	
प्रमुख नियोजक का मोबाईल नं :	
प्रमुख नियोजक का ई-मेल आई.डी. :	

:: प्रवासी कर्मकारों की विशिष्टियाँ ::

स्थापना में जिस कार्य में प्रवासी कर्मकारों को नियोजित किया जाता है या जाना है, उसकी प्रकृति * :	
प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या* :	
संविदा कार्य की प्रस्तावित प्रारंभ तारीख* :	
संविदा कार्य की प्रस्तावित समाप्त होने की तारीख* :	
ठेकेदार के अभिकर्ता या प्रबंधक का नाम :	

अभिकर्ता या प्रबंधक का पता :	
निदेशक/भागीदार का नाम:	
निदेशक/भागीदार का पता:	
कम्पनी, फर्म के कारोबार के संचालन के लिए कम्पनी, फर्म का (के) भारसाधक और जिम्मेदार व्यक्ति का नाम:	
भारसाधक का पता:	

:: Other Details ::

क्या ठेकेदार पिछले पांच वर्षों में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है? :

- हां➔अपराध का ब्यौरा दें: ---
- नहीं

क्या ठेकेदार के विरूद्ध अनुज्ञप्ति को रद्द या निलंबन करने या किसी पूर्वत्तर संविदा की बाबद प्रतिभूति निक्षेप समपृहत करने का कोई आदेश किया गया था? :

- हां➔आदेश की तारीख :---
- नहीं

क्या ठेकेदार ने पिछले पाँच वर्ष किसी अन्य स्थापना में कार्य किया है? :

- हां➔
  नियोजक का नाम :---
  स्थापना का नाम :---
  कार्य की प्रकृति :---
- नहीं

:: Registration Fee Remittance Details ::

Payment Mode* : Manual Challan	Payment Mode* : Cyber Treasury
Registration Fee (INR) * : Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Bank Branch Name* : Treasury name* :	Registration Fee (INR) * : Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Challan Identification No.(CIN)* : Cyber Receipt No.(CRN)* :

:: Security Deposit Details ::

Payment Mode* : Manual Challan	Payment Mode* : Cyber Treasury
Security Deposit (INR) * : Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Bank Branch Name* : Treasury name* :	Security Deposit (INR) * : Treasury Challan Number* : Treasury Challan Date* : Challan Identification No.(CIN)* : Cyber Receipt No.(CRN)* :

Upload Documents :-

1. Portal Generated Application Signed and scanned in PDF
2. Passport size photograph of applicant
3. Photo ID Proof of applicant
4. Certificate of Principal Employer
5. Certificate of License / Registration in Source State
6. Partnership Deed / Memorandum of Association in case of Partnership Firm or Company
7. Cyber Treasury Receipt / Treasury Challan for FEES
8. Cyber Treasury Receipt / Treasury Challan for SECURITY DEPOSIT

प्रारूप-VI

(नियम 7 (3) देखिए)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

प्रधान नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक (ठेकेदार का नाम)...को अपने स्थापना में ठेकेदार के रूप में नियोजित किया है. मैं, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 और अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन तथा सेवा शर्तें) मध्यप्रदेश नियम, 1981 के सभी उपबन्धों का, जहाँ तक वे उपबन्ध, आवेदक द्वारा मेरे स्थापन में प्रवासी कर्मकारों के नियोजन के संबंध में मुझ पर लागू होते हैं, पालन करने के लिए वचनबद्ध हुआ हूँ।

स्थान..............

तारीख...........

....

प्रधान नियोजक के हस्ताक्षर

नाम

....

पद नाम

....

स्थापना का नाम और पता